न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या–204/2024

अपीलार्थीगण

1. जेरूपाराम पुत्र श्री सवाराम
2. भादाराम पुत्र श्री जेरूपाराम
3. दाई पत्नी श्री दुर्गाराम
4. होतीरामपुत्र श्री दुर्गाराम
5. पूर्णेशपुत्र श्री अचलाराम

सभी जाति कलबी निवासी हेमागुढा तहसील चितलवाना जिला सांचोर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. मोतीराम पुत्र श्री लाखाराम, जाति जाट निवासीगण गादेवी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार गुडामालानी

औपचारिक प्रत्यर्थीगण

3. गोमाराम पुत्र श्री अणदाराम, जाति जाट
4. भगवानाराम पुत्र श्री अणदाराम, जाति जाट
5. जगदीश पुत्र श्री रूपाराम, जाति जाट
6. मोतीराम पुत्र श्री रूपाराम, जाति जाट
7. सुगणीदेवी पत्नी श्री रूपाराम, जाति जाट
8. तगाराम पुत्र श्री ताजाराम, जाति जाट
9. भीयाराम पुत्र श्री ताजाराम, जाति जाट
10. हीराराम पुत्र श्री ताजाराम, जाति जाट
11. तुलछाराम पुत्र श्री ताजाराम, जाति जाट
12. खेताराम पुत्र श्री मुकनाराम, जाति जाट
13. पदमाराम पुत्र श्री रावताराम, जाति जाट
14. पूराराम पुत्र श्री रावताराम, जाति जाट
15. करसनराम पुत्र श्री हुमाराम, जाति कलबी
    सभी निवासी हेमागुढा तहसील चितलवाना जिला सांचोर।
16. पर्बत सिंह पुत्र श्री राजूसिंह, जाति राजपुत

17. कल्याण सिंह पुत्र श्री राजू सिंह, जाति राजपुत
18. जालम सिंह पुत्र श्री नाथू सिंह, जाति राजपुत
19. बेरीसाल सिंह पुत्र श्री किशोर सिंह, जाति राजपुत सभी निवासी गादेवी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 10.06.2024 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2023/349 (196/2023) अनवान मोतीराम बनाम गोमाराम वगैरा में श्री उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी द्वारा कार्यवाही अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मेंपारित किया गया, जिसके द्वारा तहसीलदार गुडामालनी को नेखमबंदी किये जाने का आदेश दिया।

उपस्थित :–

1. श्री लाधुराम पुनिया, अधिवक्ता–अपीलान्ट्स
2. श्री रोशन लाल , अधिवक्ता– रेस्पों. संख्या–1
3. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांकः– 12.12.24

प्रकरण में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी द्वारा प्रकरण संख्या 349/2023 अनवान मोतीराम बनाम गोमाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक10.06.2024 के खिलाफ अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है।

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी के समक्ष ग्रामबांटा के भूमि ख0न0 249 रकबा 6.1836 हैक्टर है जिसके पड़ौसी विप्रार्थीगण खसरा नम्बरान की भूमि के मध्य माठ व सीमाचिन्ह नही होना बताकर उसके चारो तरफ पक्की नेखमबंदी करने के लिये दिनांक 05.10.2023 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण/विप्रार्थीगण के पंजीकृत डाक से भेजे गये नोटिस की प्राप्ति का सबूत प्राप्त किये बिना उनके विरूद्ध दिनांक 19.02.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जब कि इस प्रकार का कोई नोटिस अपीलार्थीगण को प्राप्त नही हुआ। इसके बाद विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने मौके पर प्रार्थी व विप्रार्थी के खेतो के मध्य माठ व सीमाचिन्ह नही होने के तथ्य की कोई जांच रिपोर्ट मंगवाये बिना सीधा प्रार्थी के खेत की नेखमबंदी किये जाने का

आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिनांक 10.06.2024 को दिया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने दौराने बहस जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय एव अभिलेख के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई व सूचना का अवसर नही दिया है, जिससे प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रार्थनापत्र का जबाब व खण्डन करने का अपीलार्थीगण को कोई अवसर नही मिला है तमामकार्यवाही एकतरफा, विधि न्याय के विरूद्ध की गयी है।जो आदेश प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तो के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने खेत के व विप्रार्थीगण के खेतो के बीच किसी प्रकार का कोई माठ सेढा नही होने का झुठा कथन करके नेखमबंदी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि उनके खेतो व अपीलार्थीगण तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 के खेतो के मध्य वक्तसेटलमेन्ट से सेढा कायम चला आ रहा हैं। उक्त तथ्य को बताये बिना नेखमबंदी का आदेश पारित किया है जो चलने योग्य नही था, विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने उक्त तथ्य की ओर बिना ध्यान दिये सीधा नेखमबंदी का आदेश पारित करने मे भारीभूल की गयी है जो आदेश निरस्त किये जाने के योग्य है। साथ ही तहसीलदार से मौके की पैमाईस जांच मंगवाये बिना सीधा नेखमबंदी का आदेश दिये जाने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण की तामिल जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई थी जिनकी डाक रसीदे प्रस्तुत कियेजाने के पश्चात अपीलार्थीगण द्वारा समय परन यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट रूप से पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 20.05.2023 का हवाला देते हुए आदेश पारित किया है। जिसमें सभी पक्षकारों की उपस्थिति में तहसीलदार को पत्थरगढी किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। इस कारण आलौच्य आदेश में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। मात्र प्रत्यर्थीगण को परेशान करने की नियत से अपील प्रस्तुत की गई है तथा नेखमबन्दी नहीं होने देने के उद्देश्य से कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी जेरूपाराम स्वयं द्वारा पत्थरगढी हेतु आवेदन किया गया था। अन्त में अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।जिसमें पाया कि अपीलार्थीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये है जिनकी रसीदें पत्रावली में लगी हुई है।अपीलार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तामिल होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है।

अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं अपीलार्थी जेरूपाराम द्वारा पत्थरगढी हेतु आवेदन किया गया था। जिस पर दिनांक 01.07.2024 को अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 249/1 के संबंध में भी पत्थरगढी का आदेश पारित किया हुआ है। जिससे भी स्पष्ट होता है कि पक्षकारों के मध्य सीमा को लेकर विवाद है। स्वयं अपीलार्थी द्वारा पत्थरगढी का आदेश अधीनस्थ न्यायालय से करवाया हुआ है। प्रत्यर्थीगण द्वारा सीमाज्ञान हेतु आवेदन किये जाने पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 28.06.2024 भी पत्रावली पर उपलब्ध है। इस तरह से प्रत्यर्थीगण पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12 दिसम्बर 2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

12.12.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर